



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या353 व 354 / 2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स एम.जी. केबल्स एण्ड कम्यूनिकेशन लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त प्रतिकरापवचन, राजस्थान वृत-प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2017	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> <u>राजीव चौधरी-सदस्य</u> <u>के.एल. जैन-सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक श्री पंकज घीया के द्वारा उक्त अपीलों को विद्झा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक 15.02.2017 को प्राप्त हुआ, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसमें अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी New Amnesty Scheme की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना चाहता है व यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः विद्झा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त अपीलें जरिये विद्झा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।</p> <p>विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा ने प्रस्तुत अपीलें को विद्झा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप पत्रावली पर उपलब्ध अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर हस्तगत अपील विद्झा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 353 एवं 354 / 2014 / जयपुर जरिये विद्झावल (Withdrawl) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश / निर्णय सुनाया गया।</p> <p align="center">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p> <p align="center">  सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर </p>	